WESTERN U.P. CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

MASIK PATRIKA

DECEMBER 2024

Address- WESTERN U.P. CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY
BOMBAY BAZAR, NEAR HANUMAN CHOWK, MEERUT CANTT- 250001
(U.P.) INDIA
Phone No. 0121- 2661238, 2661177; Fax: 0121-4346686
E-mail:wupcc@rediffmail.com
Website:www.wupcc.org

- **Patron**
  Dr. Mahendra Kumar Modi
- **President**
  Dr. Ram Kumar Gupta
- **Sr. Vice President**
  Shri G.C. Sharma
- **Jr. Vice President**
  Shri Neel Kamal Puri, Muzaffarnagar
- **Secretary / Editor**
  Smt Sarita Agarwal

Patrika Committee

- **Chairman**
  Shri Rahul Das
- **Co-Chairman**
  Shri Sushil Jain
- **Members**
  Shri Manoj Kumar Gupta (Hapur)
  Shri Rakesh Kohli
  Shri Trilok Anand
  Shri Rajendra Singh
  Shri Atul Bhushan Gupta
- **Co-Editor**
  Mr. Gurubachan Malik

INDEX

- **CBDT: मौजूदा पैन कार्ड धारकों को भी बनवाना होगा PAN 2.0? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने दिया हर सवाल का जवाब**
- **टैक्सपेयर्स को जारी किया जाएगा क्यूआर कोड वाला नया पैन कार्ड, कार्डहोल्डर्स को नहीं देना होगा कोई चार्ज**
- **RBI ने जारी किए सिबिल स्कोर से जुड़े 6 बड़े नियम, जानें आपके लिए क्यों हैं ये जरूरी RBI New Rule on CIBIL Score**
- **उत्तर प्रदेश के व्यापारियों को मिला बड़ा तोहफा, होगा करोड़ों का फायदा**
- **दो बैंको मै खातों वालो के लिए RBI ने जारी किया बड़ा नियम ,लगेगा 10000 रु तक जुर्माना जल्दी जल्दी देखे RBI Rule**
- **Income Tax Notice : प्रोपर्टी खरीदने या बेचने से पहले नहीं दी जानकारी, तो घर पर आएगा इनकम टैक्स का नोटिस**
- **GST New Rules: GST के नियमों में सरकार ने किया बड़ा चेंज, अब इन लोगों के रिटर्न फाइल में आएगी दिक्कत**
- **EPFO: करोड़ों खाता धारकों की आई मौज, हर खाते में क्रेडिट होंगे 10000 रुपए, विभाग ने बनाई नई सूची**
- **UP में गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे विकसित किए जाएंगे औद्योगिक क्षेत्र**
- **माल ढुलाई और यातायात के लिए शहरों में होंगी अलग-अलग सड़कें, केंद्र ने बनाया सिटी लॉजिस्टिक प्लान!**
- **e-daakhil पोर्टल पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं कंज्यूमर, सरकार ने टेम्पलेट को दिया अंतिम रूप**
- **UP Stamp Online: अब घर बैठे निकालें 100 रुपये तक के ई-स्टाम्प, उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की नई सुविधा**
- **अब बैंक अकाउंट में बना सकेंगे 4 नॉमिनी, सरकार ने दी मंजूरी, जानें पूरी डिटेल**

CBDT: मौजूदा पैन कार्ड धारकों को भी बनवाना होगा PAN 2.0? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने दिया हर सवाल का जवाब

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने पैन-2.0 परियोजना के नई प्रणाली के बारे में जानकारी दी है, जो पैन और टैन से जुड़ी सभी सेवाओं के लिए एकीकृत पोर्टल प्रदान करेगा। यह नई प्रणाली उपयोगकर्ताओं के लिए सरल और अधिक सुलभ बनाई गई है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने पैन 2.0 परियोजना से जुड़े बिंदुओं पर विस्तार से जानकारी दी। उसने बार-बार पूछे जाने वाले सवालों (एफएक्यू) का ब्योरा देकर स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की। एक दिन पहले ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्यूआर कोड सुविधा से लैस नए तरह के पैन कार्ड जारी करने के लिए 1,435 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दी है। यह परियोजना अगले साल से लागू होगी।

यह परियोजना 'स्थायी खाता संख्या' (पैन) जारी करने की मौजूदा प्रणाली को सुधारने के मकसद से लाई गई है। पैन 2.0 परियोजना का मकसद सरकारी एजेंसियों की सभी डिजिटल प्रणालियों के लिए एक 'समान व्यवसाय पहचानकर्ता' तैयार करना है। पैन आयकर विभाग की ओर से जारी होने वाली 10 अंक की एक विशिष्ट संख्या है। इसमें अंकों के साथ अंग्रेजी अक्षरों को भी स्पष्ट रूप से शामिल किया जाता है। यह संख्या भारतीय कर दाताओं को विशिष्ट रूप से जारी की जाती है।

विज्ञापन

प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और आधुनिक बनाना परियोजना का मकसद

सीबीडीटी ने एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, इस परियोजना का मकसद पैन और टैन जारी करने और उनके प्रबंधन की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और आधुनिक बनाना है, ताकि यह उपयोगकर्ता के अधिक अनुकूल और कुशल बन सके। यह परियोजना कई डिजिटल मंचों के एकीकरण और पैन/टैन धारकों के लिए कुशल सेवाओं पर फोकस करती है। इस समय करीब 78 करोड़ पैन और 73.28 लाख टैन खाता मौजूद हैं।

एक ही पोर्टल पर उपलब्ध होंगी सभी सेवाएं

बयान में कहा गया कि पैन से संबंधित सेवाएं तीन अलग मंच- ई फाइलिंग पोर्टल, यूटीआईआईटीएसएल पोर्टल और प्रोटीन ई-गवर्नेंस पोर्टल पर मौजूद हैं। लेकिन पैन 2.0 के लागू होने पर ये सभी सेवाएं एक एकल एकीकृत पोर्टल पर उपलब्ध होंगी। एकीकृत मंच की मदद से पैन कार्ड संबंधी आवेदन, उसमें सुधार और आधार को पैन से जोड़ने के अनुरोध के अलावा ऑनलाइन सत्यापन भी किया जा सकेगा।

डिजिटल प्रक्रिया होने से पैन कार्ड जारी होने में लगेगा कम समय

पैन 2.0 परियोजना सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के साथ जुड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह पर्यावरण के अनुकूल, कागज रहित प्रक्रियाओं पर फोकस करने के साथ निर्दिष्ट सरकारी एजेंसियों की सभी डिजिटल प्रणालियों के लिए पैन को एक सामान्य पहचानकर्ता के रूप में भी स्थापित करती है। सीबीडीटी ने कहा है कि पैन को निःशुल्क जारी किया जाएगा और डिजिटल प्रक्रिया होने से इसमें समय भी कम लगेगा। हालांकि, मौजूदा पैन कार्डधारकों को नए कार्ड के लिए आवेदन तभी करना होगा, जब उन्हें अपने ब्योरे में कुछ संशोधन करना हो।

एक से अधिक पैन कार्ड रखने वालों कसी जा सकेगी नकेल

एफएक्यू कहता है कि पैन 2.0 में पैन के लिए संभावित नकली आवेदनों की पहचान के लिए बेहतर प्रणाली होने से कोई व्यक्ति एक से अधिक कार्ड नहीं रख पाएगा। इस तरह एक से अधिक पैन रखने के मामलों में नकेल कसी जा सकेगी। पैन 2.0 परियोजना शुरू होने के बाद भी व्यक्तियों और व्यवसायों के पास मौजूदा पैन वैध रहेगा और उन्हें उसे बदलने की कोई जरूरत नहीं होगी। पैन में दर्ज व्यक्तिगत आंकड़ों की सुरक्षा के लिए इन आंकड़ों का उपयोग करने वाली सभी संस्थाओं के लिए 'पैन डेटा वॉल्ट सिस्टम' अनिवार्य होगा। साथ ही पैन 2.0 के तहत शिकायत निवारण प्रणाली को भी मजबूत किया जाएगा।

टैक्सपेयर्स को जारी किया जाएगा क्यूआर कोड वाला नया पैन कार्ड, कार्डहोल्डर्स को नहीं देना होगा कोई चार्ज

सरकार के इस फैसले का मकसद सरकारी एजेसियों की सभी डिजिटल प्रणानियों में पैन को मुख्य पहचनाकर्ता बनाना है.

Cabinet Decision: टैक्सपेयर्स की पहचान के लिए जारी किया जाने वाला पैन कार्ड (PAN Card) अब क्यूआर कोड (QR Code) के साथ जारी किया जाएगा जिससे टैक्सपेयर्स के डिजिटल अनुभव को बढ़ाया जा सके.कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति (CCEA) ने PAN 2.0 प्रोजेक्ट को शुरू करने पर अपनी मुहर लगा दी है. सरकार के इस फैसले का मकसद सरकारी एजेसियों की सभी डिजिटल प्रणानियों में पैन को मुख्य पहचनाकर्ता के तौर पर इस्तेमाल करना है. इस प्रोजेक्ट पर सरकार कुल 1435 करोड़ रुपये खर्च करेगी.

मुफ्त जारी होगा क्यूआर कोड वाला पैन

पैन 2.0 प्रोजेक्ट के जरिए टैक्सपेयर्स के रजिस्ट्रेशन सर्विसेज में टेक्नोलॉजी के माध्यम से बड़ा बदलाव लाने में मदद मिलेगी. टैक्सपेयर्स को कई प्रकार के बेनेफिट मिलेंगे. जिसमें वे आसानी से सर्विसेज का एक्सेस कर पायेंगे, सर्विसेज की डिलिवरी में तेजी लाई जा सकेगी, क्वालिटी में सुधार होगा, एक ही जगह सभी जानकारियां उपलब्ध होंगी, डेटा सुरक्षित रहेगा, इको-फ्रेंडली प्रोसेस के साथ लागत घटाने में मदद मिलेगी. पैन को सरकारी एजेंसियों के डिजिटल सिस्टम के लिए कॉमन आइडेंटिफायर के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा जो सरकार के डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण से भी मेल खाता है. सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पैन 2.0 प्रोजेक्ट में टैक्सपेयर्स को क्यूआर कोड के साथ वाला नया पैन कार्ड मुफ्त जारी किया जाएगा.

78 करोड़ पैन हो चुके हैं जारी

पैन 2.0 प्रोजेक्ट टैक्सपेयर्स के बेहतर डिजिटल अनुभव के लिए पैन/टैन सेवाओं के टेक्नोलॉजी-ड्रीवेन ट्रांसफॉर्मेशन के जरिये टैक्सपेयर्स के रजिस्ट्रेशन सर्विसेज के बिजनेस प्रोसेस को फिर से तैयार करने के लिए लाई गई एक ई-गवर्नेंस परियोजना है. सरकार ने अपने बयान में कहा कि, यह

मौजूदा पैन/टैन 1.0 ढांचे का उन्नत रूप होगा जो मुख्य और गैर-मुख्य पैन/टैन गतिविधियों के साथ पैन सत्यापन सेवा को भी एकीकृत करेगा. देश में अभी तक लगभग 78 करोड़ पैन जारी किए गए हैं जिसमें से 98 फीसदी पैन व्यक्तिगत स्तर पर जारी किए गए हैं.

क्या होता PAN?

पैन नंबर 10 अंकों का एक अल्फान्यूमेरिक पहचान पत्र होता है जो इनकम टैक्स विभाग जारी करता है. जो भी व्यक्ति पैन कार्ड के लिए आवेदन करता है उसे ये कार्ड जारी किया जाता है. पैन नंबर के जरिए इनकम टैक्स किसी भी व्यक्ति के ऑनलाइन या फाइनेंशियल लेन-देन पर निगरानी रखता है साथ ही देश में सभी प्रकार के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने के लिए पैन सबसे प्रमुख पहचान पत्र है जैसे वोट देने के लिए वोटर-आईडी है.

SHUBHAM ORGANICS LIMITED

Mfrs. of:

Pharmaceuticals Industrial Chemicals,

Bulk Drugs & Drug Intermediates

Corporate Office & Works:
303-A, Industrial Area, Partapur
Meerut- 250103 (U.P.) India
Ph.: 91-121-2440711
Email: lionramkumar@gmail.com

Regd. Office:
204, M.J. Shopping Centre,
3, Veer Savarkar Block,
Shakarpur, Delhi-110092
Ph.: 91-11-22217636

RBI ने जारी किए सिबिल स्कोर से जुड़े 6 बड़े नियम, जानें आपके लिए क्यों हैं ये जरूरी RBI New Rule on CIBIL Score

RBI New Rule on CIBIL Score: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने हाल ही में क्रेडिट स्कोर विनियमन में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और ग्राहक सेवाओं में सुधार करना है। ये नए नियम वित्तीय क्षेत्र में क्रेडिट जानकारी के प्रबंधन और साझा करने के तरीके को बदल देंगे।

नियमित क्रेडिट स्कोर अपडेट

1 जनवरी, 2025 से क्रेडिट स्कोर को हर 2015 दिन (लगभग 5 साल और 6 महीने) में अपडेट किया जाना चाहिए। बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए यह अनिवार्य आवश्यकता सुनिश्चित करती है कि ग्राहकों को उनके क्रेडिट प्रोफाइल में बदलावों के प्रोफाइल को समझने और सुधारने में मदद मिलेगी।

बारे में नियमित अपडेट मिले, जिससे बेहतर वित्तीय प्रबंधन और क्रेडिट निगरानी संभव हो सके।

उन्नत ग्राहक सुरक्षा उपाय

नए दिशा-निर्देशों के तहत, NBFC और वित्तीय संस्थानों को ग्राहकों को सूचित करना होगा कि जब भी उनका क्रेडिट स्कोर चेक किया जाए। यह सूचना SMS या ईमेल के ज़रिए भेजी जाएगी, जिससे पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा और ग्राहकों के हितों की रक्षा होगी। इसके अतिरिक्त, क्रेडिट कंपनियों को अब अपनी वेबसाइट के ज़रिए सालाना एक मुफ़्त क्रेडिट रिपोर्ट उपलब्ध करानी होगी, जिससे ग्राहकों को अपने क्रेडिट इतिहास और स्कोर की प्रगति को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी।

अनिवार्य प्रकटीकरण और समाधान समयरेखा

नए नियमों में शिकायत समाधान के लिए स्पष्ट समयसीमा तय की गई है, जिसमें बैंकों को ग्राहकों की शिकायतों को दूर करने के लिए 21 दिन और क्रेडिट ब्यूरो को 9 दिन दिए गए हैं। अनुपालन न करने पर प्रतिदिन ₹100 का जुर्माना लगेगा। इसके अलावा, बैंकों को क्रेडिट अनुरोध अस्वीकार किए जाने के लिए स्पष्ट कारण बताने होंगे, जिससे ग्राहकों को अपने क्रेडिट

वित्तीय संस्थाओं को अब ग्राहकों को डिफॉल्टर घोषित करने से पहले उन्हें

सूचित करना होगा, ताकि उन्हें अपनी स्थिति सुधारने का अवसर मिल सके। एसएमएस या ईमेल के माध्यम से लागू की गई यह प्री-डिफॉल्ट अधिसूचना प्रणाली का उद्देश्य अनावश्यक डिफॉल्ट को रोकना और ग्राहकों की क्रेडिट स्थिति की रक्षा करना है।

वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव

आज के वित्तीय परिदृश्य में अच्छा क्रेडिट स्कोर बनाए रखना बहुत ज़रूरी हो गया है। RBI के ये नए नियम ग्राहकों के लिए ज़्यादा केंद्रित क्रेडिट स्कोरिंग सिस्टम बनाते हैं, साथ ही बैंकों और वित्तीय संस्थानों से ज़्यादा जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं। ये नियम न केवल ग्राहकों को उनके क्रेडिट प्रोफाइल पर बेहतर नियंत्रण प्रदान करके लाभान्वित करते हैं, बल्कि बढ़ी हुई पारदर्शिता और संरचित शिकायत निवारण तंत्र के माध्यम से समग्र वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र को भी मज़बूत करते हैं।

ये व्यापक परिवर्तन भारत की क्रेडिट सूचना प्रणाली को आधुनिक बनाने और उपभोक्ता हितों की रक्षा करने के लिए RBI की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। क्रेडिट स्कोर अपडेट, शिकायत समाधान और ग्राहक संचार के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश स्थापित करके, ये नियम अधिक पारदर्शी और कुशल वित्तीय क्षेत्र की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ग्राहकों के लिए, इन नए नियमों को समझना और उनके अनुसार ढलना स्वस्थ क्रेडिट प्रोफाइल बनाए रखने और भविष्य में बेहतर वित्तीय अवसरों तक पहुँचने के लिए आवश्यक होगा।

VK TYRE INDIA LIMITED
Manufacturers & Exporters of:
Automobile & Agriculture Tyres
Sybly Industrial Area, Pawanpuri,Muradnagar- 201206
Mob. No.: 9568129777, 7900200100
Email: info@vktyre.com
Website: www.vktyre.com

उत्तर प्रदेश के व्यापारियों को मिला बड़ा तोहफा, होगा करोड़ों का फायदा

उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला किया है। उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला उत्तर प्रदेश के...

उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला किया है। उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला उत्तर प्रदेश के व्यापारियों के हित में लिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के इस बड़े फैसले से व्यापारियों को बड़ा फायदा मिलने वाला है। एक अनुमान के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले से प्रदेश भर के व्यापारियों को कम से कम 7000 करोड रुपए का फायदा मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार का यह बड़ा फैसला प्रदेश की व्यापारियों के लिए बहुत बड़ा तोहफा है। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल ने उत्तर प्रदेश सरकार के बड़े फैसले का स्वागत किया है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया है व्यापारियों को बड़ा तोहफा

आपको बता दे की शुक्रवार को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में एक दर्जन प्रस्ताव पास किए गए। उत्तर प्रदेश सरकार की इस कैबिनेट की बैठक में सबसे बड़ा प्रस्ताव प्रदेश की व्यापारियों के लिए पास किया गया। इस प्रस्ताव के पास होने से उत्तर प्रदेश में चल रहे टैक्स से संबंधी अधिकतर विवाद समाप्त हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने टैक्स विवादों में वर्ष 2017 तथा वर्ष 2018 के टैक्स पर मांगे जा रहे ब्याज तथा पेनल्टी को माफ करने का फैसला किया है। टैक्स पर ब्याज तथा पेनल्टी माफ हो जाने से उत्तर प्रदेश के हजारों व्यापारियों को कम से कम 7000 करोड रुपए का फायदा होगा। उत्तर प्रदेश के व्यापारियों के लिए काम करने वाले सबसे बड़े संगठन उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल ने उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले को संतोषजनक बताते हुए इस फैसले का स्वागत किया है।

क्या है उत्तर प्रदेश सरकार का व्यापारियों के लिए बड़ा फैसला?

उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता शिशिर सिंह ने बताया कि, प्रदेश सरकार ने व्यापारियों को कई मोर्चों पर बड़ी राहत दी है। वर्ष 17-18 से वर्ष 19-20 के बकाया टैक्स पर ब्याज और पेनाल्टी को सशर्त माफ किया

गया है। इस फैसले से लगभग 10 हजार करोड़ रुपये की देयता खत्म होगी। दूसरी तरफ फ्रॉड वाले मामलों की जांच अवधि पांच साल से घटाकर साढ़े तीन साल कर दी गई है। इस संबंध में राज्य कर विभाग के विभिन्न संशोधनों को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश 2024 को पास कर दिया। इसी के साथ एमनेस्टी स्कीम के जरिये वर्ष 17- 18, 18-19 और 19-20 के टैक्स विवाद हल करने का रास्ता खुल गया। इसके तहत अदालतों में टैक्स से जुड़े मामले व्यापारियों को वापस लेने होंगे और मूल टैक्स चुकाना होगा। इसके एवज में ब्याज और पेनाल्टी माफ कर दी जाएगी। इस मद में विभाग का करीब 10 हजार करोड़ रुपये फंसा है। विवाद खत्म होने से व्यापारियों के लगभग 7000 करोड़ रुपये बचेंगे वहीं विभाग को 3000 करोड़ रुपये बकाये कर के रूप में मिलेंगे।

टैक्स में फ्रॉड करने वाले मामलों में घटाई गई जांच की अवधि

उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने टैक्स में फ्रॉड करने वाले मामलों में जांच की अवधि कम कर दी है। आपको बता दें कि ऐसे मामले, जिनमें गलती से टैक्स कम जमा किया गया हो, उन्हें नॉन फ्रॉड केस की श्रेणी में रखा जाता है। वहीं जानबूझ कर कम टैक्स देने के मामलों को फ्रॉड केस की श्रेणी में रखा जाता है। नॉन फ्रॉड केस में, आदेश पारित करने की अवधि तीन वर्ष और फ्रॉड केस में आदेश पारित करने की अवधि पांच वर्ष थी। अब नई धारा 74क के जरिये वित्त वर्ष 24-25 और आगे के वर्षों के लिए सभी श्रेणी के कर निर्धारण आदेशों की अवधि एकसमान करते हुए 42 महीने (साढ़े तीन वर्ष) कर दी गई है। अब सुनवाई के समय व्यापारी के स्थान पर प्रतिनिधि भी पेश हो सकता है। अभी तक कर संबंधी मामलों से जुड़ी सुनवाई में व्यापारी को पेश होना पड़ता था। या उनके स्थान पर किसी सदस्य को प्राधिकृत करना पड़ता था। अब ऐसे मामलों की सुनवाई में व्यापारी की जगह अन्य व्यक्ति पेश हो सकता है।

दो बैंको मै खातों वालो के लिए RBI ने जारी किया बड़ा नियम ,लगेगा 10000 रु तक जुर्माना जल्दी जल्दी देखे RBI Rule

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने हाल ही में बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। गवर्नर शशिकांत दास के नेतृत्व में जारी इन नियमों का मुख्य उद्देश्य बैंकिंग धोखाधड़ी को रोकना और वित्तीय सुरक्षा को मजबूत करना है। विशेष रूप से, यह नियम एक से अधिक बैंक खाते रखने वाले ग्राहकों पर केंद्रित हैं।

नए नियमों का उद्देश्य

आरबीआई द्वारा जारी नए नियमों का प्राथमिक लक्ष्य बैंकिंग प्रणाली में पारदर्शिता लाना और अवैध वित्तीय गतिविधियों पर रोक लगाना है। बढ़ती बैंकिंग धोखाधड़ी और साइबर अपराधों के मद्देनजर ये नियम विशेष महत्व रखते हैं। इनका उद्देश्य ग्राहकों के हितों की रक्षा करना और बैंकिंग प्रणाली की विश्वसनीयता को बढ़ाना है।

बहु-खाताधारकों के लिए विशेष प्रावधान

एक से अधिक बैंक खाते रखने वाले ग्राहकों को अब विशेष सावधानी बरतनी होगी। आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि संदिग्ध लेनदेन की स्थिति में खातों की जांच की जाएगी। यदि कोई अनियमितता पाई जाती है, तो बैंक खातों को फ्रीज किया जा सकता है और कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

नए नियमों के तहत, अनियमित या संदिग्ध लेनदेन पर जुर्माना लगाया जा सकता है। जुर्माने की राशि लेनदेन के पैटर्न और उल्लंघन की गंभीरता के आधार पर तय की जाएगी। बैंकों को भी निर्देश दिया गया है कि वे नियमित रूप से खातों की निगरानी करें और किसी भी अनियमितता की तत्काल सूचना दें।

दो बैंक खातों की आवश्यकता और औचित्य

आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि दो बैंक खाते रखना अपने आप में गैरकानूनी नहीं है। कई लोग वैध कारणों जैसे वेतन, बचत, या निवेश के लिए अलग-अलग खाते रखते हैं। हालांकि, इन खातों का दुरुपयोग रोकने के लिए कड़ी निगरानी आवश्यक है।

बैंकों की जिम्मेदारी

बैंकों को अपने ग्राहकों के खातों की नियमित जांच करने का निर्देश दिया गया है। उन्हें संदिग्ध लेनदेन की पहचान करनी होगी और ऐसी गतिविधियों की रिपोर्ट तुरंत आरबीआई को करनी होगी। यह व्यवस्था बैंकिंग प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने में मदद करेगी।

ग्राहकों के लिए सुझाव

ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने बैंक खातों का उपयोग सावधानीपूर्वक करें। सभी लेनदेन कानूनी और पारदर्शी होने चाहिए। किसी भी अनियमितता की स्थिति में तुरंत अपने बैंक को सूचित करें। साथ ही, नियमित रूप से अपने खातों की जांच करते रहें।

आरबीआई के नए बैंकिंग नियम वित्तीय प्रणाली को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं। ये नियम न केवल बैंकिंग धोखाधड़ी को रोकने में मदद करेंगे, बल्कि ग्राहकों के हितों की रक्षा भी सुनिश्चित करेंगे। सभी बैंक ग्राहकों को इन नियमों का पालन करते हुए जिम्मेदार बैंकिंग का परिचय देना चाहिए।

THE RUG REPUBLIC
Live Smart, Buy Right.
Kirti Nagar/Delhi: 2/5, WHS
(150m from Kirti Nagar Fire Station)
Noida: A-32, Sector 63
(Off Nh24, Opp. Indirapuram)
MG ROAD/DELHI: M.G. Road, Ghitorni (Pillar #128)
Live.smart@tfrhome.com / www.tfrhome.com

Income Tax Notice: प्रोपर्टी खरीदने या बेचने से पहले नहीं दी जानकारी, तो घर पर आएगा इनकम टैक्स का नोटिस

इस लेख में आज हम छह महत्वपूर्ण ट्रांजैक्शन के बारे में बताने जा रहे हैं जो आयकर विभाग को नोटिस भेज सकते हैं अगर आप टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। सही उत्तर नहीं मिलने पर आप पर कार्रवाई हो सकती है-

30 लाख रुपये की सीमा को ध्यान में रखें अगर आप संपत्ति खरीद-बेच करने जा रहे हैं। यही कारण है कि विदेशी मुद्रा बेचते समय 10 लाख रुपये की सीमा का ध्यान रखना महत्वपूर्ण होगा। वास्तव में, आज की इस रिपोर्ट में हम आपको छह महत्वपूर्ण व्यापारों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी जानकारी आप टैक्स रिटर्न फाइलिंग में नहीं देते हैं, तो आयकर विभाग आपको नोटिस भेज सकता है। सही उत्तर नहीं मिलने पर आप पर कार्रवाई हो सकती है-

अचल संपत्ति की खरीद-बिक्री—अचल संपत्ति को खरीदने या बेचने पर आयकर कानूनों का पालन करना आवश्यक है। आपको प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार (Property Registrar and Sub Registrar) को सूचना देनी होगी अगर कोई अचल संपत्ति 30 लाख से अधिक की कीमत पर खरीदी या बेची जाती है। इसकी जानकारी अपने क्षेत्र के प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार को दर्ज करानी होगी।

SAI ELECTRICALS
Dealing in:
Transformer & Servo
Sai Dhaam, Vicyoria Park, Meerut-250001
Mob. No.: 7533900800, 9927869400
E-mail: info@saielectricals.com Website: www.saielectricals.com

बैंक में बचत: अगर आप 10 लाख रुपये से अधिक नकद अपने एफडी अकाउंट में जमा करते हैं, तो इसकी सूचना IT विभाग को देनी होगी। 10 लाख रुपये से अधिक कैश जमा करने पर बैंक को आयकर विभाग को सूचित करना होगा। बैंक इसके लिए फॉर्म 61ए भरते हैं, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का स्टेटमेंट है।

Credit Card का बिल - यदि एक लाख रुपये से अधिक का बिल कैश में चुकाया जाता है, तो इसकी सूचना आईटी विभाग को दी जाएगी। आयकर विभाग (Income Tax Department) प्रत्येक क्रेडिट कार्ड हस्तांतरण की निगरानी करता है। यह सूचना नहीं दी गई तो आईटी नोटिस मिल सकता है। यदि एक वित्त वर्ष में क्रेडिट कार्ड बिल पर 10 लाख रुपये से अधिक का भुगतान हुआ है तो इसकी भी जानकारी देनी होगी।

विदेशी मुद्रा से खरीद - एक वित्त वर्ष में कितने रुपये की विदेशी मुद्रा बेचने का एक विशिष्ट नियम है। एक साल में विदेशी मुद्रा की बिक्री से 10 लाख रुपये मिलते हैं तो इनकम टैक्स विभाग को सूचित करना होगा। ऐसा नहीं करने पर कार्रवाई हो सकती है।

SARU COPPER ALLOY SEMIS PVT. LTD.

Manufacturer & Exporters of:

Continuous Cast Cold Drawn Copper Alloy Rods & Bars in Sizes upto 160 mm to all National and International Specifications in Standard Length of 3 mt.

Saru Nagar, Sardhana Road, Meerut- 250001
Ph. No.: 0121-2556279, 2554126, 2554160
Fax: 0121-2558402
Email: sales@sarucopper.com, info@sarocopper.com
Website: www.sarucopper.com

वर्तमान और बचत खाते में जमा राशि

यदि आपके सेविंग खाते में एक वित्त वर्ष में 10 लाख रुपये से अधिक का ट्रांजैक्शन होता है, तो आपको IT विभाग को इसकी सूचना देनी होगी। यही बात है अगर करंट अकाउंट में एक साल में 50 लाख रुपये से अधिक का भुगतान होता है, तो आयकर विभाग को इसकी सूचना भी देनी होगी। कार्रवाई से बचने के लिए इस नियम का ध्यान जरूर रखना चाहिए।

शेयरों और बॉन्डों में निवेश करना—

अगर नकद में एक वित्त वर्ष में 10 लाख रुपये से अधिक का म्यूचुअल फंड, स्टॉक, बॉन्ड या डिबेंचर में निवेश किया जाता है, तो इसकी सूचना देनी होगी। Annual Information Return Statement में आपके सभी भुगतान की जानकारी होती है। टैक्स अधिकारी इस स्टेटमेंट की मदद से आपके व्यापार को पकड़ सकते हैं। फॉर्म 26AS के भाग E में आपके सभी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन की जानकारी है। विभिन्न प्रकार की जानकारी दबाना नोटिस को प्रेरित कर सकता है।

INDKRAFT EXPORTS

Manufacturers and Exporters of:
Indian Handicrafts, Silk, Woollen, Viscose, Cotton Shawls, Stoles, Pareos & Scarves
Bombay Bazar, Meerut Cantt- 250001
Phone: 0121-2664103, 4034103, 4322020
Fax: 91-121-2660063
Mobile: 9536202020
E-mail: info@indkrafts.com

GST New Rules: GST के नियमों में सरकार ने किया बड़ा चेंज, अब इन लोगों के रिटर्न फाइल में आएगी दिक्कत

GST New Rules -सरकार ने GST रिटर्न फाइलिंग में महत्वपूर्ण परिवर्तन की घोषणा की है। जो इन लोगों को अब रिटर्न फाइल नहीं करने देगा। अगले वर्ष से ये नए नियम लागू होंगे, ऐसा बताया जा रहा है। सरकार की ओर से दिए गए इस बदलाव के बारे में अधिक जानकारी के लिए खबर को पूरा पढ़ें..।

GST New Rules - सरकार ने अगले वर्ष से GST रिटर्न फाइलिंग में महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की है। GST करदाता 2025 से तीन साल बाद मासिक और वार्षिक रिटर्न नहीं दाखिल कर सकेंगे।

माल एवं सेवा कर नेटवर्क (GSTN) ने कहा कि GST बिक्री रिटर्न, देनदारी भुगतान, वार्षिक रिटर्न (annual return) और स्रोत पर कर संग्रह से संबंधित रिटर्न पर नए नियम लागू होंगे। इस नियम के तहत, रिटर्न भरना रिटर्न जमा करने की तिथि के तीन साल बाद संभव नहीं होगा।

मिलाकर जल्दी भरें:

GSTN ने बताया कि अगले साल 2025 से GST पोर्टल में नए बदलाव लागू होंगे। करदाताओं को सलाह दी गई है कि वे अपने रिकॉर्ड को देखें और यदि वे अभी तक जीएसटी रिटर्न नहीं भर चुके हैं, तो उसे जल्द से जल्द भरें।

रजत मोहन, AMRG एंड एसोसिएट्स के वरिष्ठ भागीदार, ने कहा कि GSTN ने अनुपालन में एक बड़ा बदलाव किया है। इस बदलाव के तहत तीन साल की अवधि के बाद जीएसटी रिटर्न दाखिल करने पर प्रतिबंध लगाया गया है।

रिटर्न नहीं देने वाले लोगों को परेशानी:

उन्होने कहा, "यह कदम समय पर अनुपालन सुनिश्चित करने, आंकड़ों की विश्वसनीयता बढ़ाने और जीएसटी प्रणाली के भीतर बिना भरे रिटर्न के "बैकलॉग" को संभावित रूप से कम करने के मकसद से जुड़ा है। करदाताओं को देरी से रिटर्न फाइल करने से जुड़े मामले में समय सीमित करने से उनके रिकॉर्ड को मिलान करने और सुधारने की प्रेरणा मिली है।"

मोहन ने कहा, "हालांकि, यह उन करदाताओं के लिए भी चुनौतियां पैदा कर सकता है, जिन्होंने रिटर्न भरा ही नहीं है। खासकर करदाताओं के लिए जो पुराने रिकॉर्ड को समेकित करने में प्रशासनिक या लॉजिस्टिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं।"

SANGAL PAPERS LTD.
Manufacturing Papers Based on Customer Needs
Newsprint Paper, Superior Kraft Paper, Construction/Pastel Paper, Envelope Grade Paper, Ribbed Kraft Paper, High Bulk Paper Writing/Printing Paper, MG poster Grades & Other Specialized Grades Paper
Regd. Office/ Works
Village Bhainsa, 22 Km.
Meerut-Mawana Road, Mawana
Ph.: 01233-271137, 271464, 271515, 27432

EPFO: करोड़ों खाता धारकों की आई मौज, हर खाते में क्रेडिट होंगे 10000 रुपए, विभाग ने बनाई नई सूची

EPFO Update: अगर आप भी नौकरी पेशा हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है. क्योंकि भविष्य निधि संगठन पात्र खाता धारकों को एडीशनल बोनस के रूप में आर्थिक धनराशि देता है. जिसका ज्यादा कर्मचारी लाभ नहीं ले पाते हैं.

EPFO Update: अगर आप भी नौकरी पेशा हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है. क्योंकि भविष्य निधि संगठन पात्र खाता धारकों को एडीशनल बोनस के रूप में आर्थिक धनराशि देता है. जिसका ज्यादा कर्मचारी लाभ नहीं ले पाते हैं. आपको बता दें कि ये धनराशि 5000 रुपए से लेकर 50000 रुपए तक दी जाती है. इसकी गणना कर्मचारी की सैलरी के आधार पर की जाती है. हाल ही में भविष्य निधि संगठन एडिशनल बोनस पाने वाले लाभार्थियों की सूची भी तैयार करने वाला है. आपको बता दें कि एडिशनल बोनस की अधिकतम धनराशि 50000 रुपए तक हो सकती है. आइये जानते हैं किन कर्मचारियों को कितने पैसे एडिशनल बोनस के रूप में ईपीएफओ की ओर से दिये जाते हैं.

ऐसे काउंट होती है बोनस की धनराशि

दरअसल, ये एडिशनल बोनस (additional bonus)की धनराशि आपको लॉयल्टी कम लाइफ बेनिफिट (loyalty cum life benefit)के माध्यम से ईपीएफओ देता प्रोवाइड कराता है. इसके लिए भविष्य निधि संगठन (EPFO)की कुछ शर्तें हैं जिन्हें पूरा करना होगा. जैसे एडिशनल बोनस का लाभ वे ही कर्मचारी ले सकते हैं जिनका पीएफ कम से कम 20 सालों से कट रहा होगा. साथ ही बोनस कितना मिलेगा इसके लिए आपकी बेसिक सैलरी को आधार बनाया जाता है. इसी आधार पर आपका एडिशनल बोनस काउंट किया जाता है. अधिकतम बोनस की धनराशि 50000 रुपए तक हो सकती है...

ऐसे करें कैल्कुलेट

जानकारी के मुताबिक जिन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 5000 रुपए है उन्हें लगभग 30000 रुपए तक एडिशनल बोनस के रूप में मिलते हैं. वहीं जिन कर्मचारियों का बेसिक वेतन 10 हजार रुपए है उन्हें यह धनराशि 40000 रुपए मिलती है. वहीं इससे ऊपर की सैलरी पर बोनस की धनराशि 50 हजार रुपए तक हो जाती है. आपको बता दें कि बोनस मिलने की अहर्ता कम से कम 20 साल नौकरी होता है. कम समय

तक नौकरी करने वाले इसे क्लेम नहीं कर सकते हैं..

रियायरमेंट पर मिलता है बोनस

आपको बता दें कि एडिशनल बोनस संगठन ने रिटायरमेंट के बाद लिए शुरू किया था. ताकि कर्मचारियों को कुछ अतिरिक्त पैसे का फायदा हो सके. यदि आप भी 20 साल की सर्विस पूरी कर चुके हैं तो अपनी बेसिक सैलरी के हिसाब से एडिशनल बोनस के लिए आवेदन कर सकते हैं. एडिशनल बोनस के लिए आपको ऑनलाइन भी अप्लाई करने की सुविधा दी जाती है.

ANAMIKA UDYOG

MANUFACTURES OF:

SURGICALS DRESSINGS

Address: 61/1, Madhuban Colony, Baghpat Road, Meerut-250002

E-mail: anamikaudyog@hotmail.com

Mobile No.: 9837031861, 9927025661

UP में गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे विकसित किए जाएंगे औद्योगिक क्षेत्र, इन जिलों के युवाओं की मौज

मेरठ से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेस-वे का निर्माण उत्तर प्रदेश औद्योगिक एक्सप्रेसवेज विकास प्राधिकरण (यूपीडा) द्वारा अंतिम चरण में किया जा रहा है। औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने के लिए 120 हेक्टेयर जमीन तीन गाँव से ली जानी है। 30 हेक्टेयर जमीन में अब तक घर बनाए गए हैं।

उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेस-वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जोकि मेरठ से प्रयागराज तक एक औद्योगिक क्षेत्र धीरे-धीरे विकसित हो रहा है। 120 हेक्टेयर जमीन पर, जिले की सीमा से सटे गंगा एक्सप्रेस-वे के किनारे औद्योगिक गलियारा बनाया जाएगा। जिले के युवा लोगों को औद्योगिक गलियारा रोजगार मिलेगा।

मेरठ से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेस-वे का निर्माण उत्तर प्रदेश औद्योगिक एक्सप्रेसवेज विकास प्राधिकरण (यूपीडा) द्वारा अंतिम चरण में किया जा रहा है। प्रदेश सरकार को कुंभ से पहले ही एक्सप्रेस-वे का निर्माण शुरू करना महत्वपूर्ण है। मेरठ से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेस-वे के किनारे तीस स्थानों पर कृषि गलियारा भी बनाया जा रहा है। इंटरचेंज के पास जिले की सीमा पर हापुड़ की गढ़मुक्तेश्वर तहसील के तीन गांव में औद्योगिक गलियारा बनाया जाएगा।

3 गाँव से की जाएगी, 120 हेक्टेयर जमीन अधिगृहीत

औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने के लिए 120 हेक्टेयर जमीन तीन गाँव से ली जानी है। 30 हेक्टेयर जमीन में अब तक घर बनाए गए हैं। जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया को प्रशासन ने तेज कर दिया है। औद्योगिक क्षेत्रों को बनाने के लिए सरकार जमीन खरीदने में लगी हुई है। भूमि अधिग्रहण को

अप्रैल तक समाप्त करना लक्ष्य है। यूपीडा फिर औद्योगिक क्षेत्रों को बनाएगा।

इन क्षेत्रों से होकर गुजरेगा, औद्योगिक क्षेत्र

जिले की सीमा के पास सदरपुर (पांच किलोमीटर दूर हापुड़) और मंगरौला (12 किलोमीटर दूर अमरोहा) में औद्योगिक क्षेत्र बनाने के लिए जमीन अधिग्रहण की जा रही है। गंगा एक्सप्रेस-वे से सबसे अधिक लाभ जनपद के युवाओं को मिलेगा, जो सफर से लेकर नौकरी तक पहुंचेंगे। नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना से भी स्याना क्षेत्र का पिछड़ापन दूर होगा।

इन गांव में विकसित होगा, औद्योगिक गलियारा

हापुड़ की गढ़मुक्तेश्वर तहसील के सदरपुरभैना, ठेरा ,चिचावली में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने को जमीन अधिगृहित हो रही है। मेरठ से प्रयागराज तक बन रहे एक्सप्रेस-वे पर 7 आरओबी, 14 बड़े पुल, 127 छोटे पुल, 375 अंडर पास, 8 डायमंड इंटरचेंज, 28 ओवर ब्रिज, 2 मुख्य टोल का निर्माण किया जाएगा।

PASWARA PAPERS LTD.
Paswara Border, N.H. 58, Delhi Road,
Mohiuddinpur, Meerut (U.P.)
Tel. 0121-4020444, 4056536
Web: www.paswara.com
E-mail: vk@paswara.com
A Pioneer Unit for Manufacturing of:
"MULTILAYER KRAFT PAPER, M.G. KRAFT PAPER & KRAFT BOARD"

माल ढुलाई और यातायात के लिए शहरों में होंगी अलग-अलग सड़कें, केंद्र ने बनाया सिटी लॉजिस्टिक प्लान!

वाहनों की वजह से शहरों में हो रहे प्रदूषण और जाम की समस्या को कम करने के लिए सरकार सिटी लॉजिस्टिक प्लान (सीएलपी) लेकर आई है। इसके तहत मुख्य रूप से माल ढोने वाले और यात्री वाहनों के लिए अलग-अलग सड़कें होंगी।

इस प्लान पर अमल से लॉजिस्टिक लागत में भी कमी आएगी। सबसे पहले दिल्ली और बेंगलुरु में सीएलपी पर अमल होगा। इन दोनों शहरों के अनुभव के आधार पर देश के अन्य शहरों के लिए सीएलपी का एक विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार किया जाएगा।

जापान सबसे आगे

सीएलपी पर अमल में जापान सबसे आगे है और फ्रांस, जर्मनी व नीदरलैंड जैसे देशों में भी शहरों को सक्षम बनाने के लिए सीएलपी पर अमल किया जाता है। अभी माल ढोने वाले ट्रकों व अन्य वाहनों को भी शहर की उन्हीं सड़कों से होकर गुजरना पड़ता है, जिन सड़कों पर यात्री वाहन चलते हैं। इससे जाम व प्रदूषण दोनों समस्याएं आती हैं।

वहीं, शहर का मोबिलिटी प्लान तैयार करने के दौरान अमूमन मालवाहक वाहनों की दिक्कतों का खास ध्यान नहीं रखा जाता। शहर से होकर गुजरने के लिए मालवाहक वाहनों को रात का इंतजार करना पड़ता है। इससे उनकी लागत बढ़ती है। सीएलपी के तहत इन्हीं चुनौतियों का हल निकाला जाएगा।

लॉजिस्टिक पालिसी का हिससा है सीएलपी

वर्ष 2022 में उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) की तरफ से लॉजिस्टिक पालिसी लाई गई थी। सीएलपी इस लॉजिस्टिक पॉलिसी का हिस्सा है। वर्ष 2022 में ही सीएलपी पर अमल के लिए दिल्ली व बेंगलुरु का चयन किया गया था और अब दिल्ली व कर्नाटक सरकार की मदद से दोनों ही शहर के लिए सीएलपी लगभग तैयार हो चुका है।

डीपीआईआईटी के अधिकारी के मुताबिक, इंडो-जर्मन टेक्निकल को-ऑपरेशन के तहत दिल्ली और बेंगलुरु के सीएलपी मॉडल को तैयार करने में जर्मनी की कंपनियों की मदद ली गई है। उन्होंने बताया दिल्ली व बेंगलुरु के सीएलपी पर अमल के बाद पूरे देश के शहरों के भीतर मालवाहक व यात्री वाहनों के लिए सक्षम इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। इससे कारोबार करना आसान हो जाएगा और वर्ष 2070 तक कार्बन उत्सर्जन स्तर को शून्य तक लाने में भी मदद मिलेगी।

STAG INTERNATIONAL
Manufacturers & Exporters of:
Sports Goods
A-19/20, Udyog Puram, Delhi Road, Meerut- 250103
Ph. No.: 0121-2440976, 2440993, 2441035
Fax: 0121-2441009
Email: stagin@gmail.com, Info@stag.in

यूपी: पान मसाले के बाद आयरन-स्टील इकाइयों की भी नाकेबंदी, बड़ी और मध्यम फैक्ट्रियां जांच के दायरे में

पान मसाले के बाद आयरन और स्टील इकाइयों के बाहर भी राज्य कर विभाग ने नाकेबंदी कर दी है। संवेदनशील उत्पादों की फेहरिस्त में पान मसाले के बाद आयरन-स्टील का ही नंबर है। प्रदेश की बड़ी और मध्यम स्टील इकाइयों के बाहर चौबीस घंटे टीमों को तैनात करने का आदेश शासन से दिया गया है। इस बीच सूत्रों के मुताबिक तीन राज्यों से बिना टैक्स चुकाए पान मसाला के 20 से ज्यादा ट्रक रोज यूपी पहुंच रहे हैं।

पान मसाले में सख्ती के साथ-साथ आयरन स्टील इकाइयों के बाहर चौबीस घंटे की रोस्टर ड्यूटी लगा दी गई है। ई वे बिल की स्कैनिंग के बिना एक भी गाड़ी निकलने की सूचना पर कठोर कार्यवाही की चेतावनी दी गई है। इस फैसले से जहां पान मसाला इकाइयों में उत्पादन लगभग बंद हो गया है, वहीं स्टील इकाइयों से भी निकलने वाले उत्पाद एकाएक घट गए हैं। दूसरी तरफ हाइवे और प्रमुख मार्गों में निगरानी घटने से टैक्स चोरी के उत्पादों की आवक एकाएक बढ़ गई है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान से आने वाले कर अपवंचित उत्पादों की रफ्तार बढ़ गई है। खास तौर पर पान मसाला की खेप में तीन गुना तक तेजी आ गई है। खास बात ये है कि पहले करीब 40 वाहन अंदर के रास्तों से आते थे लेकिन अब मुख्य मार्गों से भी आ रहे हैं।

तीन दिन में मांगा एक साल का हिसाब-किताब, निलंबन की चेतावनी

प्रमुख सचिव ने पिछली जांचों को लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। एसआईबी और सचल दलों के पिछले कामकाज की समीक्षा करने के लिए मार्च-24 तक की गई कार्रवाई का पूरा ब्योरा मांगा है। पूरी रिपोर्ट के लिए कट-ऑफ तारीख 30 नवंबर तय की है। इस अवधि में सचल दलों और एसआईबी द्वारा मार्च-24 तक की गई जांच, जांच के दौरान पकड़ी गई अनियमितताएं, टैक्स चोरी का उत्पाद, उत्पाद में की गई टैक्स चोरी और पेनाल्टी व टैक्स जमा करने का पूरा ब्योरा मांगा गया है।

e-daakhil पोर्टल पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं कंज्यूमर, सरकार ने टेम्पलेट को दिया अंतिम रूप

कई बार ऑनलाइन शॉपिंग ठगी हो जाती है. दुकानदार भी आपके साथ किसी तरह की कोई भी धोखाधड़ी करता है. ये ठगी गलत सामान या सेवाओं से जुड़ी हो सकती है. कई बार कंपनी का ग्राहक सेवा केंद्र भी ठीक से आपकी मदद नहीं करता है. अब ऐसे मामलों में कंज्यूमर ऑनलाइन अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. दरअसल, सरकार ने कहा कि उसने कंज्यूमर शिकायतों को 'ई-दाखिल' (e-daakhil) के जरिए ऑनलाइन दर्ज कराने के एक टेम्पलेट को अंतिम रूप दे दिया है. ऐसा होने से कंज्यूमर कमीशनंस (Consumer Commissions) में वास्तविक मामलों को दर्ज कराना अधिक आसान हो जाएगा.

कंज्यूमर अफेयर्स के मंत्रालय के सचिव रोहित कुमार सिंह ने गुवाहाटी में आयोजित कंज्यूमर प्रोटेक्शन वर्कशॉप को संबोधित करते हुए यह जानकारी दी. उन्होंने कहा, "इस टेम्पलेट को बहुत जल्द लागू करने के साथ प्रसारित कर दिया जाएगा. इस तरह कंज्यूमर कमीशनंस को देशभर में ई-दाखिल के जरिए दर्ज कराई जाने वाली शिकायतों में वृद्धि देखने को मिल सकती है."

UP Stamp Online: अब घर बैठे निकालें 100 रुपये तक के ई-स्टाम्प, उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की नई सुविधा

उत्तर प्रदेश सरकार ने घर बैठे 100 रुपये तक के ई-स्टाम्प निकालने की सुविधा शुरू की है। यह सुविधा प्रदेश भर के नागरिकों के लिए प्रभावी हो गई है। लोग स्टाम्प एवं न्यायालय पंजीयन शुल्क वेबसाइट पर जाकर अपनी लॉगइन आईडी से ई-स्टाम्प डाउनलोड कर सकते हैं। स्टाम्प मंत्री रवींद्र जायसवाल ने 'आनलाइन ई-स्टाम्प सेल्फ प्रिंट मॉड्यूल' का शुभारंभ किया है।

घर बैठे 100 रुपये तक के ई-स्टाम्प घर बैठे निकाला जा सकता है।

1. भौतिक स्टाम्प की कमी के बाद सरकार ने लोगों की सुविधा के लिए की बड़ी पहल
2. स्टॉक होल्डिंग की वेबसाइट पर कोई भी व्यक्ति डाउनलोड कर सकता है स्टाम्प

बड़े भौतिक स्टाम्प पहले ही लगभग समाप्त हो गए थे। उसका स्थान ई-स्टाम्प ने ले लिया था। छोटे भौतिक स्टाम्प बिकते तो थे, लेकिन आए दिन अनुपलब्धता की समस्या सामने आती थी, जिसके समाधान के लिए प्रदेश सरकार ने 'ऑनलाइन ई-स्टाम्प सेल्फ प्रिंट मॉड्यूल' जारी किया है। ऐसे में अब घर बैठे 100 रुपये तक के ई-स्टाम्प घर बैठे निकाला जा सकता है। स्टाम्प एवं न्यायालय पंजीयन शुल्क राज्य मंत्री रवींद्र जायसवाल ने सर्किट हाउस में आयोजित एक समारोह में 'ऑनलाइन ई-स्टाम्प सेल्फ प्रिंट मॉड्यूल' की विधिवत शुरुआत की। अब ये सुविधा प्रदेश भर के लिए प्रभावी हो गई है।

स्टॉक होल्डिंग की वेबसाइट से डाउनलोड होगा स्टाम्प

स्टाम्प मंत्री ने बताया कि ई-स्टाम्प कोई भी व्यक्ति स्टॉक होल्डिंग की वेबसाइट पर जाकर अपनी लॉग इन आईडी, पासवर्ड बनाकर अपनी जरूरत के अनुसार स्टाम्प डाउनलोड कर सकता है।

शर्त यह है कि डिजीलॉकर की केवाईसी से आईडी लिंक होगी। ई-स्टाम्प का मूल्य चुकता करने के लिए नेट बैंकिंग, क्रेडिट-डेबिट कार्ड, यूपीआई के माध्यम से पेमेंट किया जा सकता है।

इस संबंध में ध्यान रखने की बात है कि कोई भी व्यक्ति एक दिन में पांच ई-स्टाम्प पेपर ही डाउनलोड कर सकता है। इस व्यवस्था के तहत दैनिक प्रयोग में आने वाले डाक्यूमेंट जैसे शपथ पत्र, क्षतिपूर्ति बांड, सामान्य ऋण समझौता इत्यादि आसानी से तैयार किए जा सकेंगे।

किसी अन्य के लिए नहीं डाउनलोड कर सकते स्टाम्प

जिस भी व्यक्ति को ई-स्टाम्प की जरूरत होगी, वही अपनी लॉगइन आईडी से डाउनलोड कर सकता है। कोई अपनी आईडी से किसी अन्य के लिए ई-स्टाम्प डाउनलोड नहीं कर सकता है, क्योंकि जब ई-स्टाम्प डाउनलोड किया जाएगा तो उस पर आईडी लॉग इन करने वाले का पूरा विवरण नाम-पता, सर्टिफिकेट नंबर, तिथि, समय, बारकोड आदि दर्ज होकर आएगा। इससे अब वेंडरों द्वारा अंकित मूल्य से अधिक लेने और उपलब्ध नहीं होने की समस्या से निजात मिलेगी।

कैसे करें पूरी प्रक्रिया

इस व्यवस्था के तहत कोई भी व्यक्ति अपना रजिस्ट्रेशन www.shcilestamp.com वेबसाइट पर जाकर आईडी बना सकता है। सबसे पहले वेबसाइट पर जाएं तो ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन आएगा। उसे क्लिक करने पर पेज खुलेगा। उसपर रजिस्टर नाव पर क्लिक करें।

इसके बाद जो पेज खुलेगा उस पर यूजर आईडी, पासवर्ड, ईमेल आदि मांगी गई जानकारी भर कर सेव कर दें। आपके मेल पर एक ओटीपी आएगा। उसे भरने पर आपकी लॉग इन आईडी एक्टिवेट हो जाएगी। इसके बाद अगली बार से वेबसाइट पर जाकर मात्र अपनी लॉग इन कर ई-स्टाम्प निकालने की प्रक्रिया की जा सकती है।

अब बैंक अकाउंट में बना सकेंगे 4 नॉमिनी, सरकार ने दी मंजूरी, जानें पूरी डिटेल

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बैंकिंग कानून से जुड़े कई अहम संशोधनों को मंजूरी दी है
- नए नियमों के तहत अब किसी भी बैंक अकाउंट में 4 नॉमिनी बना सकेंगे
- इन बदलावों के जरिए सरकार अनक्लेम्ड अकाउंट की संख्या कम करना चाहती है

अब बैंक अकाउंट में होगा 4 नॉमिनी का ऑप्शन

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बैंकिंग कानून से जुड़े कई अहम संशोधनों को मंजूरी दी है। इनमें सबसे खास है बैंक खातों के लिए 4 नॉमिनी का ऑप्शन। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, बैंकिंग कानून में बदलाव के बाद बैंक खातों के भी एक से अधिक नॉमिनी हो सकेंगे। इससे अकाउंट होल्डर की मौत के बाद खाते के पैसे जॉइंट अकाउंट होल्डर या वारिस को आसानी से मिल सकेंगे। NBT संग समझें कि इस नियम की क्यों पड़ी जरूरत और इससे लोगों को क्या सहूलियत होगी।

पहली जॉब लगी है? जानें कहां और कितने रुपये करें निवेश, इनकम टैक्स बचाने में मिलेगी मदद

क्यों पड़ी जरूरत?

मार्च के अंत तक वैसे अकाउंट की संख्या बढ़कर 78 हजार करोड़ हो गई, जिनके लिए कोई क्लेम करने वाला नहीं है। इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि अब तक अकाउंट में एक ही नॉमिनी का ऑप्शन है। ऐसे में यदि किसी दुर्घटना में नॉमिनी की भी मौत हो जाती है तो उसके बाद क्लेम में कई परेशानियां आती हैं। सरकार अनक्लेम्ड अकाउंट की संख्या कम करना चाहती है।

क्या फायदा होगा?

एक से अधिक नॉमिनी होने से अनक्लेम्ड अकाउंट की संख्या घटेगी और परिजन को उनके पैसे मिल सकेंगे। मान लीजिए कि पति ने पत्नी को और पत्नी ने पति को नॉमिनी बनाया, लेकिन किसी दुर्घटना में दोनों की मौत हो गई। लेकिन,

यदि नॉमिनी नंबर 2, 3, 4... होंगे तो इस तरह के हादसों के बाद भी दावेदार बचे रहेंगे और अकाउंट होल्डर के नॉमिनी को पैसे मिल सकेंगे। इसलिए, हर अकाउंट के नॉमिनी की संख्या 4 करने पर विचार किया जा रहा है।

अभी क्या है नियम?
अभी आप जब बैंक अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको नॉमिनी तय करने का ऑप्शन होता है। अकाउंट होल्डर की मौत के बाद खाते में जमा पैसे को नॉमिनी को देना होता है। अभी शेविंग अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट में एक ही नॉमिनी तय करने का ऑप्शन है।

कहां से आया कई नॉमिनी का आइडिया?
इंश्योरेंस और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली (HUF) अकाउंट में अभी एक से अधिक नॉमिनी तय करने की सहूलियत है। 4 नॉमिनी का आइडिया सरकार को यहीं से मिला है। बदलाव को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस विधेयक को संसद में पेश करेंगी। पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) के लिए भी कई नॉमिनी पर विचार हो रहा है, हालांकि पूरी जानकारी संसद में विधेयक पेश होने पर ही मिल सकेगी।

अनक्लेम्ड पैसे का क्या होगा?
नए बदलाव के तहत यदि किसी अकाउंट में शेयरों का बोनस (डिविडेंड) या बॉण्ड का पैसा पड़ा है और उसके लिए कोई क्लेम नहीं आया तो उसे 'इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड' IEPF में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। फिलहाल, केवल बैंकों के शेयर ही IEPF में ट्रांसफर होते हैं। इसके साथ ही जिन शेयरहोल्डर्स के पास 2 करोड़ रुपये तक के शेयर हैं, उन्हें संबंधित कंपनी में अहम हिस्सेदार माना जाएगा। पहले यह सीमा 5 लाख रुपये थी, जिसे करीब 60 साल पहले तय किया गया था।